रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2008/आषाढ़ 30, 1930
No. 113] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2008/ASADHA 30, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2008

सं. विधि/42(3)/87.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, (1974 का अधिनियम 6) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1975 के नियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 17 की उप-धारा (2) तथा धारा 16 की उप-धारा (3) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम 14) की धारा 16 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुसूची-1 में वर्णित स्थानों पर बोर्ड की प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं ।

2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं को जल, अपशिष्ट, जल, मृदा, जोखिमयुक्त अपशिष्ट, वायु/पलायक उत्सर्जनों, शोर प्रबोधन, आटो एक्जोस्ट प्रबोधन तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक पैरामीटरों और सेम्पलिंग प्रभारों के लिए प्रत्येक विश्लेषण रिपोर्ट के विषय में देय शुल्क अनुसूची-II : पर्यावरणीय सेम्पलों के लिए विश्लेषण प्रभार तथा सेम्पलिंग अनुसूची के अनुसार होगा ।

3. अनुसूची-II के अंतर्गत निर्धारित शुल्क परिवर्तनीय होगा ।

4. यह अधिसूचना दिनांक 1-4-2008 से लागू होगी ।

अनुसूची-I

बोर्ड की प्रयोगशालाओं की अनुसूची

क्र. सं.	स्थान	पता
1.	दिल्ली	परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
2.	कोलकाता	आंचलिक कार्यालय-कोलकाता, 247, देशप्रान शेषमल रोड, सी.आई.टी. भवन, प्रथम तल, कोलकाता-700033
3.	वडोदरा	आंचलिक कार्यालय-वडोदरा, सिनर्जी हाऊस-II, गोरवा सुभानपुरा रोड, वडोदरा-390023